<u>पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति</u>
<u>संख्या-4/2021/446/बावन-3-2021-सा(44)/2020</u>

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2020-21 में रजिस्ट्रार/निरीक्षक, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान हेतु आय-व्ययक में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4562/अ0सं0क0नि0-52/लेखा/बजट-प्रावि0/ 2020-21टी0सी0, दिनांक-22 मार्च, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद के दो दैनिक वेतन कर्मी तथा दो नियत वेतन कर्मियों को शासन की अधिसूचना संख्या-9/2016-2/1-97-क- 2/2026, दिनांक- 22.09.2016 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-67/2016/ वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक-22.12.2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल-3 में दिनांक-12.09.2016 से किये गये विनियमितीकरण के पश्चात् सम्बन्धित कार्मिकों को एरियर भुगतान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में रजिस्ट्रार/निरीक्षक कार्यालय अधिष्ठान के आय-व्ययक में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति लेखाशीर्षक-2202- सामान्य शिक्षा-01- प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-03-अरेबिया पाठशालाओं को अनुदान-31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि रू0 81757.28 लाख के सापेक्ष लगभग रू0 5000.00 लाख की बचत सम्भावित से रू0 36.76 लाख (रू0 छत्तीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-001- निदेशन तथा प्रशासन-06- रजिस्ट्रार/ निरीक्षक अरबी फारसी मदरसा उ0प्र0 प्रयागराज के मानक मद-01-वेतन एवं 03-मंहगाई भत्ता मद में पुनर्विनियोग करते हुए स्वीकृत कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस- 2020-231/2020, दिनांक-24 मार्च, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण में लम्बित देयता का भुगतान सत्यापन उपरान्त सही पाने पर ही किया जायेगा।
4. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिये उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तथा इस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
5. उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक-31 मार्च, 2021 तक शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
6. धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
7. उक्त स्वीकृति से सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः 2/-

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-001- निदेशन तथा प्रशासन-06- रजिस्ट्रार/ निरीक्षक अरबी फारसी मदरसा उ0प्र0 प्रयागराज के मानक मद-01-वेतन एवं 03-मंहगाई भत्ता'' के नामे डाला जायेगा तथा रू0 36.76 लाख (रू0 छत्तीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि का व्यय संलग्न बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक: यथोक्त (बी0एम0-9)

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-446(1)/बावन-3-2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704-जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/ नियोजन अनुभाग-3
6. अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ़ अनुभाग-1
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
अनु सचिव।

SHASANADESH